WWW.LAWTREND.IN

न्यायालय सिविल जज (प्रवर वर्ग), मथुरा

प्रकीर्ण वाद सं०–176/2020

भगवान श्रीकृष्ण विराजमान एवं अन्य बनाम यू०पी० सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड एवं अन्य

दिनांक–30.09.2020

1– पत्रावली पोषणीयता के प्रश्न पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुयी। पुकार पर प्रार्थीगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है।

2– प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को पोषणीयता के प्रश्न पर सुना गया एवं प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल लिखित तर्कों का भी अवलोकन किया।

3– प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत वाद में वादी सं०–1 भगवान श्रीकृष्ण विराजमान एवं वादीसं०–2 स्थान श्रीकृष्ण जन्मभूमि के रूप में है। अन्य वादीगण भगवान श्रीकृष्ण में अपार आस्था रखने वाले भक्तजन है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट अपने दायित्वों को सही प्रकार से निर्वहन नहीं कर रही है एवं अकार्यशील हो गयी है, जिस कारण प्रश्नगत सम्पत्ति की संरक्षा एवं सुरक्षा हेतु प्रस्तुत वाद संस्थित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत भी प्रार्थीगण को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार है एवं यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत डिक्री कपट पर आधारित डिक्री है, जिसके निरस्तीकरण के श्रवण का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है एवं वाद की पोषणीयता के संबंध में मात्र वादपत्र के अभिकथनों को ही दृष्टिगत रखा जाता है। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित विधिव्यवस्थाओं का सन्दर्भ दिया गया है–

Saleem bhai & **other Vs**. **State of Maharashtra** & **others**, (2003)1 **S.C.C 557** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि –

9–"A perusal of Order 7 Rule 11 CPC makes it clear that the relevant facts which need to be looked into for deciding an application thereunder are the averments in the plaint. The trial court can exercise the power under Order 7 Rule 11 CPC at any stage of the suit–before registering the plaint or after issuing summons to the defendant at any time before the conclusion of the trial. For the purposes of deciding an application under clauses(a) and (d) of Rule 11 of Order 7 CPC, the averments in the plaint are germance; the pleas taken by the defendant in the written statement would be wholly irrelevant at that stage, therefore, a direction to file the written statement without deciding the application under Order 7 Rule 11 CPC cannot but be procedural irregularity touching the exercise of jurisdiction by the trial court, The

WWW.LAWTREND.IN

order, therefore, suffers from non–exercising of the Jurisdiction vested in the court as well as procedural irregularity. The High Court, however, did not advert to these aspects."

अन्य संदर्भित विधिव्यवस्था **P.V Guru Raj Reddy and otr. Vs. P. Neeradha Reddy and otr.**, (2015)8 **S.C.C** 331 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि–

5– "Rejection of the plaint under Order 7 Rule 11 of CPC is a drastic power conferred in the court to terminate a civil action at hte threshold. The conditions precedent to the exercise of power under Order 7 Rule 11, therefore, are stringent and have been consistently held to be so by the Court It is the averments in the plaint that have to be read as a whole to find out whether it discloses a cause of action or whether the suit is barred under any law. At the stage of exercise of power under Order 7 Rule 11, the stand of the defendants in the written statement or in the application for rejection of the plaint is wholly immaterial. It is only if the averments in the plaint ex facie do not disclose a cause of action or on a reading thereof the suit appears to be barred under any law the plaint can be rejected. In all other situations, the claims will have to be adjudicated in the course of the trial."

6–"In the present case, reading the plaint as a whole and proceeding on the basis that the averments made therein are correct, which is what the Court is required to do, it cannot be said that the said pleadings ex facie disclose that the suit is barred by limitation or is barred under any other provision of law. The claim of the plaintiffs with regard to the knowledge of the essential facts giving rise to the cause of action as pleaded will have to be accepted as correct. At the stage of consideration of the application under Order 7 Rule 11 the stand of the defendants in the written statement would be altogether irrelevant."

अन्य संदर्भित विधिव्यवस्था **Kuldeep singh pathania Vs. Bikram Singh Jaryal** (2017)5 **S.C.C** 345 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि–

9–"Thus, for an enquiry under Order 7 Rule 11(a), only the pleadings of the plaintiff–petitioner can be looked into even if it is at the stage of trial of preliminary issues under Order 14 Rule 2(2). But the

WWW.LAWTREND.IN

entire pleadings on both sides can be looked into under Order 14 Rule (2)2 to see whether the court has jurisdiction and whether there is a bar for entertaining the suit."

10–"In the present case, the issue relates to an enquiry under Order 7 Rule 11(a) of the Code, and hence, there is no question of a preliminary issue being triel under Order 14 Rule 2(2) of the Code. The Court exercised its jurisdiction only under Section 83(1)(a) of the Act read with Order 7 Rule 11(a) of the Code. Since the scope of the enquiry at that stage has to be limited only to the pleadings of the plaintiff, neither the written statement nor the averments, if any, filed by the opposite party for rejection under Order 7 Rule 11(a) of the Code or any other pleadings of the respondents can be considered for that purpose."

अन्य संदर्भित विधिव्यवस्था **Shaukathussain Mohammed Patel Vs. Khatunben Mohmmedbhai Polara** (2019)10 **S.C.C.** 226 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि–

6– "It is well settled that for the purposes of the provisions of Order 7 Rule 11 of the Code, the entirety of the averments in the plaint have to be taken into account. Going by the version of the appellant as detailed in the plaint, there was an element of deception and fraud which was practised upon him as a result of which the document concerned got entered into. It is also a matter of record that the consideration in respect of the transfer of the property in question was stated to have been paid in cash."

अन्य संदर्भित विधिव्यवस्था **Gram panchayat of Village Naulakha Vs. Ujagar Singh** & **others** (2000) 7**S.C.C** 543 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि–

"Under Section 44 a party can, in a collateral proceeding in which fraud may be set up as a defence, show that a decree or order obtained by the opposite party against him was passed by a court without jurisdiction or was obtained by fraud or collusion and it is not necessary to bring an independent suit for setting it aside (Bansi Lal v. Dhapo, Rajib Panda v. Lakhan Sendh Mahapatra, Parbati v. Gajraj Singh, Prayag Kumari Debi v. Siva Prasad Singh, Hare Krishna Sen v, Umesh Chandra

WWW.LAWTREND.IN

Dutt, Aswini Kumar Samaddar v. Banamali Chakrabarty, Manchharam v. Kalidas, Rangnath Sakharam v. Govind Narasinv, Jamiraddin v. Khadejanessa Bibi, Bhagwandas Narandas v. D.D. Patel & Co., Bishunath Tewari v. Mirchi and Gurajada Vijaya Lakshmamma v. Yarlagadda Padmanabham.)

अन्य सन्दर्भित विधिव्यवस्था **Chandro Devi & ors. Vs. Union of India & ors.** 2017(9) **SCC** 469 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि–

"There can be no dispute with the proposition that if there is fraud , which leads to passing of a judgment, then fraud vitiates all actions taken consequent to such fraud and this would mean that the judgment would be set aside. However, before setting aside the judegment, we must come to the conclusion that the action was fraudulent."

4– प्रस्तुत प्रकरण के माध्यम से प्रार्थीगण द्वारा मूलवाद सं०–43 सन 1967 में पारित निर्णय व आज्ञप्ति दिनांकित–20.07.1973 व 07.11.1974 के निरस्तीकरण, उदघोषणा, आदेशात्मक व प्रतिषेधात्मक निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति का अनुतोष याचित किया जा रहा है। पत्रावली पर प्रार्थीगण द्वारा दाखिल किये गये प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि मूलवाद सं०–43 सन् 1967 में पारित आज्ञप्ति 'समझौता आज्ञप्ति' के रूप में है, जोकि ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह व श्रीकृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट के मध्य हुये समझौते पर आधारित है।

5– प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट को मूलवाद सं०–43 सन 1967 में प्रश्नगत सम्पत्ति के संबंध में समझौता करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। प्रश्नगत डिक्री कपट पर आधारित डिक्री है।

6– पत्रावली पर दाखिल अभिलेखों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत डिक्री ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह एवं श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के मध्य हुये समझौते के आधार पर पारित डिक्री है। उल्लेखित है कि किसी न्यास द्वारा की गयी किसी भी कार्यवाही को उसके न्यासियों द्वारा चुनौती दी जा सकती है। जबकि प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थीगण की स्थिति न्यासीगण के रूप में नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा स्वयं को मुख्यतः **'भक्त'** होना अभिकथित करते हुये प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। यह सही है कि प्रश्नगत सम्पत्ति जनपद मथुरा में स्थित है एवं प्रतिवादीगण भी जनपद मथुरा से संबंधित है। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित की गयी विधिव्यवस्थाओं से न्यायालय सहमति व्यक्त करता है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत मात्र वाद पत्र के अभिकथनों को ही दृष्टिगत रखा जाता है, परन्तु सर्वप्रथम प्रार्थीगण को यह सिद्ध करना

WWW.LAWTREND.IN

आवश्यक है कि उनका हित किस प्रकार प्रश्नगत सम्पत्ति में निहित है एवं किस प्रकार उन्हें प्रश्नगत सम्पत्ति के संबंध में **Right to Sue** प्राप्त है।

7– प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी सं०– 1 'भगवान श्रीकृष्ण विराजमान' व प्रार्थी सं०–2 के रूप में 'स्थान श्रीकृष्ण जन्मभूमि' है एवं शेष प्रार्थीगण द्वारा स्वयं को भगवान श्रीकृष्ण में अपार श्रृद्धा रखने वाले भक्तजन के रूप में होने का अभिकथन किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के वाद विधिअनुसार सेवायत के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते है, जैसा कि प्रार्थीगण द्वारा अपने वादपत्र के **प्रस्तर सं०–3** में स्वीकार किया गया है, परन्तु प्रस्तुत वाद सेवायत के माध्यम से संस्थित नहीं किया गया है। प्रार्थी सं०–3 को प्रार्थी सं०–1 व प्रार्थी सं०–2 का **Next friend** होना अभिकथित किया गया है। वाद पत्र के पूर्ण अध्ययन से स्पष्ट है कि **Next friend** होने का मुख्य आधार भी श्रीकृष्ण भगवान में अपार श्रृद्धा व भक्ति होने के कारण, उनका भक्त होना ही है।

8– सर्वविदित है कि भगवान श्रीकृष्ण हिन्दू धर्म के पूज्य देवता है एवं भगवान श्री विष्णु के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। सम्पूर्ण विश्व में भगवान श्रीकृष्ण के असंख्य भक्त व श्रृद्धालू है यदि इसी प्रकार प्रत्येक भक्त व श्रृद्धालू को वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदत्त कर दी गयी तो न्यायिक एवं सामाजिक व्यवस्था चरमरा जायेगी। स्वीकृत रूप से प्रार्थीगण प्रश्नगत डिक्री में पक्षकार के रूप में नहीं है, न ही न्यासीगण के रूप में है। मात्र भक्त होने के आधार पर प्रार्थीगण को वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदत्त किया जाना न्यायोचित व युक्ति युक्त प्रतीत नहीं होता है एवं भक्तजन द्वारा वाद प्रस्तुत किया जाना विधि की दृष्टि में भी अनुमन्य नहीं है।

9– उपरोक्त समस्त विवेचनोपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रस्तुत प्रकरण को प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थीगण को **Right to sue** प्राप्त नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण को मूल वाद के रूप में पंजीकृत किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। अतः प्रकीर्ण वाद खण्डित होने योग्य है।

आदेश

प्रकीर्ण वाद खण्डित किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक–30.09.2020

(छाया शर्मा)
प्रभारी सिविल जज(प्रवर वर्ग),
मथुरा।